

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1825
10/12/2025 को उत्तर देने के लिए

इंस्पायर योजना

1825. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

श्री भोजराज नाग:

श्री करण भूषण सिंह:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में 'इनोवेशन इन साइंस पर्सुट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (इंस्पायर)' योजना लागू की जा रही है और यदि हाँ, तो इसके उद्देश्य और मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;
- (ख) क्या इंस्पायर कार्यक्रम में समाज की आवश्यकताओं के समाधान करने वाले विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधन किए गए हैं जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से 'मूल विचारों' पर जोर दिया गया है;
- (ग) यदि हाँ, तो एक वित्तीय वर्ष में लक्षित 'मूल विचारों' की संख्या और ऐसे पुरस्कारों के लिए निर्धारित राशि क्या है;
- (घ) ऐसे 'मूल विचार' एकत्र करने के लिए स्कूलों का चयन करने के लिए उपयोग किए गए मानदंड क्या हैं;
- (ङ) इस संबंध में राजस्थान में विशेषकर राजसमंद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) इंस्पायर पुरस्कार विजेताओं के लिए मेंटरिंग, इनक्यूबेशन, प्रोटोटाइप विकास और उद्योग लिंक बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय क्या हैं ताकि वे अपने नवीन विचारों को प्रत्यक्ष कार्यानुभव में परिवर्तित कर सकें?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) जी हाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की "इनोवेशन इन साइंस परसुट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (इंस्पायर)" योजना देश में लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर मूलभूत और प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करने के लिए आकर्षित करना है और उन्हें मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान के देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए क्षेत्रों, जिसमें इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान शामिल हैं, में अनुसंधान करियर

अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका अंतिम लक्ष्य देश के अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) प्राधार का विस्तार करना है।

(i) युवा छात्रों को विज्ञान अध्ययन और अनुसंधान करियर बनाने के लिए आकर्षित करने, (ii) उनमें सृजनात्मक सोच को विकसित करने और नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ इंस्पायर मानक- (मीलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज) योजना को कार्यान्वित किया गया है। इंस्पायर मानक योजना का उद्देश्य 10-17 वर्ष की आयु समूह के युवा छात्रों को लक्षित करना है, जो कक्षा VI से XII में अध्ययनरत हैं। देश के सभी विद्यालय, जो जिला/राज्य शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, चाहे वे सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित हों, और जिनमें कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएँ हैं, वे सभी विद्यालय वित्तीय वर्ष के दौरान अपने विद्यालय से 5 छात्रों को नामांकित करने के पात्र हैं। विभाग द्वारा वर्ष की विशिष्ट अवधि के दौरान विद्यालयों से नामांकन ई-एमआईएस पोर्टल (www.inspireawards-dst.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन रूप से आमंत्रित किए जाते हैं।

नामांकन प्रक्रिया में छात्रों की मूलभूत जानकारी, बैंक खाता विवरण, साथ ही प्रस्तावित मॉडल/परियोजना का संक्षिप्त विचार/सारांश प्रस्तुत करना शामिल है। छात्रों द्वारा प्रस्तुत अवधारणाओं के आधार पर इन ऑनलाइन नामांकनों की संवीक्षा की जाती है और चयनित छात्रों में से प्रत्येक को परियोजना/मॉडल की तैयारी/ अवधारणाओं को शोकेस करने और तीन स्तरों अर्थात् जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों में सहभागिता हेतु 10,000/- रुपये प्रत्येक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर) के माध्यम से वित्तीय सहायता अंतरित की जा रही है।

इंस्पायर इंटर्नशिप का उद्देश्य कक्षा X बोर्ड स्तर के 50,000, शीर्ष 1% छात्रों को वैज्ञानिक शिविर आयोजित करके एक्सपोज़र देना और उन्हें भारत और विदेश की वैज्ञानिक हस्तियों सहित नोबेल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत का अवसर देना है, ताकि वे वैज्ञानिक खोज के आनन्द का अनुभव कर सकें। ये विज्ञान शिविर छात्रों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को पोषित करते हैं, उन्हें लीक से हटकर सोचने में मदद करते हैं और 16-17 साल की प्रारंभिक आयु के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए विज्ञान विषयों का चयन करने हेतु आकर्षित करते हैं। इंटर्नशिप शिविर 5 दिन प्रति शिविर की अवधि वाले आवासीय शिविर होते हैं।

उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति (शी) का उद्देश्य छात्रवृत्तियाँ तथा अग्रणी अनुसंधानकर्ताओं के साथ ग्रीष्मकालीन सम्बद्धता (समर अटैचमेंट) के माध्यम से मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हुए विज्ञान गहन कार्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं की संबद्धता (अटैचमेंट) की दर को बढ़ाना है। यह योजना प्रत्येक वर्ष 17-22 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को प्राकृतिक और मूलभूत विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्ति हेतु 0.80 लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से, 12,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है।

इंस्पायर अध्येतावृत्ति उन छात्रों को दी जाती है। जिन्होंने राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान जैसे कि आईआईटीएस, एनआईटीएस, आईआईएसईआरएस स्तर की परीक्षा में मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान सहित अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, साथ ही उन इंस्पायर अध्येताओं को जिन्होंने एमएससी स्तर पर कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए हों और जो देश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के पात्र हों। यह अध्येतावृत्तियां अधिकतम 5 वर्षों (2 वर्ष जेआरएफ के रूप में और 3 वर्ष एसआरएफ के रूप में) के लिए अथवा पीएचडी पूरा होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम करने के लिए है। अध्येतावृत्ति राशि, जिसमें आकस्मिक खर्च शामिल हैं, सीएसआईआर-यूजीसी नेट अध्येतावृत्ति के अनुरूप है और समय-समय पर भारत सरकार के मानदंडों और नियमों के अनुसार संचालित होती है। वर्तमान में, प्रत्येक अध्येता को जेआरएफ के रूप में प्रति माह 37,000/- रुपये + आतिथेय संस्थान के शहर के आधार पर स्वीकार्य एचआरए + 20,000 रुपये वार्षिक आकस्मिक राशि प्राप्त होगी और एसआरएफ के रूप में प्रति माह 42,000/- रुपये + आतिथेय संस्थान के शहर के आधार पर स्वीकार्य एचआरए + 20,000 रुपये वार्षिक आकस्मिक राशि प्राप्त होगी।

इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति प्रत्येक वर्ष अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा सहित मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, दोनों क्षेत्रों में, 5 वर्षों के इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति के लिए 27-32 वर्ष के आयु समूह के पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ताओं को अवसर प्रदान करती है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी तक अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। यद्यपि, अ.जा./अ.ज.जा/महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष होगी। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। प्रत्येक अध्येता को मासिक 1,25,000/- रुपये की अध्येतावृत्ति, जिसमें वार्षिक वृद्धि 2,000/- रुपये होगी, प्राप्त होगी और 5 वर्षों के लिए शोध अनुदान के रूप में 35 लाख रुपये (प्रति वर्ष 7.0 लाख रुपये की दर से) प्रदान किए जाएंगे।

(ख) से (ग): जी हाँ। इस योजना को पुनः संरचित किया गया है ताकि उन मूल विचारों को प्रोत्साहित किया जा सके जिनमें समाज की आवश्यकताओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरा करने की क्षमता हो। संशोधित ढांचे के अंतर्गत, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिताओं (एसएलपीईसीएस) से चयनित छात्रों को राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ) के सहयोग से आईआईटीएस, एनआईटीएस, आईआईएसईआरएस और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने नवाचारों को और बेहतर ढंग से परिष्कृत और विकसित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य देशभर के पात्र स्कूलों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक मिलियन मूल विचार प्राप्त करना है। चयनित छात्रों को उनके प्रोजेक्ट/मॉडल के विकास और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु ₹10,000 प्रत्येक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) देश के सभी स्कूल जो संबंधित जिला या राज्य शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, चाहे वह सरकारी, सरकारी-सहायता प्राप्त, निजी या केंद्रीय या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित हों और जिनमें कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है, वे योजना के अंतर्गत भाग लेने और मूल विचार प्रस्तुत करने के पात्र हैं।

(ड) विभाग ने राजसमंद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षकों और जिला/राज्य नोडल अधिकारियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन, स्कूलों में श्रव्य-दृश्य प्रचार सामग्री और पुस्तिकाओं का वितरण, और नामांकन तथा मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए क्लाउड-आधारित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का संचालन जैसे कई उपाय किए हैं। नवाचार की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रायोगिक शिक्षक-प्रशिक्षण घटक भी शुरू किया गया है। गत पांच वर्षों में, पूरे राजस्थान में 42 जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं जिनमें विशेष रूप से राजसमंद के लिए पांच ऑनलाइन कार्यशालाएँ शामिल हैं, जिससे लगभग 3,500 शिक्षकों को लाभ मिला।

(च) इंस्पायर अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन, उद्भवन, प्रोटोटाइप विकास और उद्योग लिंक को बढ़ाने हेतु, सरकार ने एक विरचित मार्गदर्शक और क्षमता-निर्माण पारितंत्र स्थापित किया है। राज्य-स्तर के प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ) के सहयोग से आईआईटीएस, एनआईटीएस, आईआईएसईआरएस और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। गत पाँच वर्षों के दौरान, 119 मार्गदर्शन कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं, जिससे 1,823 छात्रों को अपने नवाचारों और प्रोटोटाइप विकास को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। उत्कृष्ट विचारों को इन्क्यूबेशन लिंकेज, तकनीकी सहायता, और बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण की सुविधा के माध्यम से और सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अब तक 195 पेटेंट्स दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 38 पेटेंट छात्र अन्वेषकों के नाम स्वीकृत किए गए हैं।
